राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री चेतन देवड़ा आई.ए.एस)

प्रकरण सं. 03 / 2018

दायर दिनांकः–04.07.2018
फैसल दिनांकः–28.08.2019

श्री सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर (राज0)

अपीलान्ट.......

बनाम

मैसर्स बालाजी गैस एप्लाईसेंस ओटा, शास्त्री कॉलोनी डूंगरपुर श्री संतोष कलाल पुत्र श्री देवजी निवासी कुशालमगरी, ग्रा. पंचायत बिलडी, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)

रेस्पोडेन्ट....

उपस्थितिः– 1 विभागीय पेरोकार – अपीलान्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

– : निर्णय : –

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर की ओर से विरूद्ध विपक्षी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ अवैध रूप से भण्डारन किये जाने से जप्तशुदा सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि खाद्य सुरक्षा पखवाडे के दौरान दिनांक 12.04.2018 को अवैध रूप से भण्डारित घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक रूप से उपयोग करने के संबंध में रेस्पोडेन्ट मैसर्स बालाजी गैस एप्लाईसेंस ओटा, शास्त्री कॉलोनी डूंगरपुर श्री संतोष कलाल पुत्र श्री देवजी निवासी कुशालमगरी, ग्राम पंचायत बिलडी, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0) प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षण श्री जोगेन्द्र सिंह एवं श्री लालशंकर डामोर द्वारा जांच की गई। मौका जांच के दौरान 2 घरेलू गैस सिलण्डर गैस से भरे हुए एवं 1 घरेलू खाली गैस सिलेण्डर एवं 1 कम्प्रेशर गैर रिफलिंग मशीन पाईपशुदा विपक्षी के फर्म पर पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसा हैं :–

क0 सं0	सिलेण्डर का एस.आर. कमांक	सरकारी तेल कम्पनी का नाम	सिलेण्डर एलपीजी का उपदर्शित मान भार/क्षमता कि. ग्रा. में	खाली सिलेण्डर का उपदर्शित भार /टेयर वेट कि. ग्रा. में	भौतिक सत्यापन सिलेण्डर का भारमय एलपीजी कि.ग्रा. में	शुद्ध गैस भार 6–5) कि.ग्रा. में
1	009140T	एचपीसी	14–200	15–900	30–100	14–200
2	120049	एचपीसी	14–200	15–900	30–100	5–100
3	653565T	बीपीसी	14–200	15–400	15–400	NIL

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेन्ट से उक्त भण्डारित 2 भरे हुए गैस सिलेण्डर एवं 1 खाली गैस सिलेण्डर फर्म पर रखने के संबंध में अपीलान्ट (विभागीय पेरोकार) द्वारा पुछे जाने पर कोई अनुज्ञापन/विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त 2 घरेलू गैस भरे सिलेण्डर एवं 1 खाली गैस सिलेण्डर अवैध रूप से भण्डारित कर बिकी करने का कृत्य पाया गया। रेस्पोडेन्ट का उक्त कृत्य एल.पी.जी. ओर्डर 2000 की शर्तो का उल्लघंन करने से उक्त गैस सिलेण्डरों को जप्त सरकार कर जय दुर्गा इण्डेन गैस एजेन्सी डूंगरपर को सुपुर्द किये। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरों को भण्डरित कने के वैध दस्तावेज/अनुज्ञापन प्रस्तुत नही करने से एल.पी.जी. आर्डर 2000 की शर्तो के उल्लघन में जप्त शुदा सिलेण्डरों का राजसात करने प्रार्थी द्वारा अनुरोध किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना हाजिर नहीं होने से उनके विरूद्ध दिनांक 19.01.2019 को एक तरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

प्रकरण में विभागीय पेरोकार की एक तरफा बहस समायत की गई। विभागीय पेरोकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया।

विभागीय पेरोकार प्रवर्तन निरीक्षण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि खाद्य सुरक्षा पखवाडे के दौरान दिनांक 12.04.2018 को विपक्षी की फर्म की जांच करने पर 2 घरेलू भरे हुए गैस सिलेण्डर व 1 कम्प्रेशर गैस रिफलिंग मशीन पाईपशुदा अवैध रूप से भण्डरित किये गये है। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरों का अवैघ रूप से बिकी करने हेतु भण्डारित किया जाना पाया। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त गैस सिलेण्डर भण्डारित करने के कोई विधिक/अनुज्ञापन प्रस्तुत नही किया गया जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त गैस सिलेण्डर बिना किसी अनुज्ञापन दस्तावेज के अवैध रूप से भर्ण्डारित कर बिकी किये जाने एवं एल0पी0जी0 आर्डर 2000 की शर्तो का उल्लघन किया है। विभागीय पेरोकार ने उक्त तथ्यों के आधार पर जप्त शुदा 2 घरेलू गैस भरे तथा 1 खाली गैस सिलेण्डर को राजसात करने का अनुरोध किया गया।

हमारे द्वारा विभागीय पेरोकार की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया।

उभय पक्षकारों की बहस एवं पत्रावली का अध्ययन से स्पष्ट हैं। विपक्षी द्वारा 2 भरे हुए गैस सिलेण्डरों, 1 घरेलु खाली गैस सिलेण्डर एवं 1 कम्प्रेशर गैर रिफलिंग मशीन पाईपशुदा को अवैद्य रूप से भण्डारित करने के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने जरिये नोटिस तलब करने पर बावजूद सूचना के हाजिर नहीं हुए एवं न हीं अपने प्रतिरक्षण हेतु अभिभाषक के नियुक्त किया हैं, इससे स्पष्ट है कि उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैद्य रूप से व्यवसाय करने के आरोप विपक्षी को स्वीकार हैं। प्रार्थी

Scanned by CamScanner

द्वारा विपक्षी के विरूद्ध घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैद्य रूप से व्यवसाय करने के लगाये गये आरोप स्वीकार है, उक्त स्थिति में प्रकरण में गुणावगुण के विषय पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी मैसर्स बालाजी गैस एप्लाईसेंस ओटा, शास्त्री कॉलोनी डूंगरपुर श्री संतोष कलाल पुत्र श्री देवजी निवासी कुशालमगरी, ग्राम पंचायत बिलडी, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0) द्वारा अवैद्य रूप से भण्डारित 2 घरेलू एच.पी.सी. गैस से भरे हुए सिलेण्डर (गैस वनज दोनों सिलेण्डरों की 19.300 कि.ग्रा.) एवं 1 खाली सिलेण्डर तथा कम्प्रेसर गैस सिफलिंग मशीन पाईपशुदा व बिजली के तार सहित को राजसात करने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर उक्त 2 घरेलू एच.पी.सी. गैस से भरे सिलेण्डर व 1 खाली सिलेण्डर सुपूर्दकर्ता से प्राप्त कर गैस सिलेण्डर नियुक्ता कम्पनी में अमानत के रूप में रसीदन सुपूर्द करें तथा 2 गैस से भरे हुए सिलेण्डर की गैस 19.300 कि.ग्रा. की अधिकतम दर से राशि नियुक्ता कम्पनी से प्राप्त करे। कम्प्रेसर, गैस रिफलिंग मशीन, पाईपशुदा व बिजली के तार का नियमानुसार निस्तारण कर गैस सिलेण्डरों की गैस व कम्प्रेसर इत्यादि से प्राप्त राशि अमानत के रूप में जिला रसद कार्यालय में जमा रखी जावें। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को निर्णय की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जावें।

(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner